

प्रेषक,

सुनील कुमार चौहान,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
30प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,  
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग

लखनऊ : दिनांक 14 जून, 2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ऊर्जा नीति के प्रचार-प्रसार के संबंध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1131/यूपीनेडा-एसएसएल/बजट/2024-25, दिनांक 07 जून, 2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश ऊर्जा नीति के प्रचार-प्रसार हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राविधानित धनराशि ₹0 200.00 लाख (रूपये दो करोड मात्र) में से प्रथम किश्त के रूप में धनराशि ₹0 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) को स्वीकृत कर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

**नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों**

- 1- यूपीनेडा द्वारा जिस मद में पुनर्विनियोग का प्रस्ताव किया गया है, उक्त मद में चालू वित्तीय वर्ष में किसी प्रकार की धनराशि की माँग नहीं की जायेगी तथा स्वीकृत कार्य पर ही धनराशि व्यय की जायेगी।
- 2- जिस मद में पुनर्विनियोग प्रस्तावित है उक्त मद में प्रस्तावित धनराशि का नियमानुसार सदुपयोग इस वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
- 3- प्रस्तावित पुनर्विनियोग केवल बजट आवंटन के उद्देश्य से धनराशि की उपलब्धता हेतु किया जा रहा है। यूपीनेडा इसका व्यय समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए करेंगे।
- 4- पुनर्विनियोग की जाने वाली धनराशि का सदुपयोग वित्तीय वर्ष में न करने एवं उसके फलस्वरूप होने वाले आडिट आपत्ति हेतु यूपीनेडा उत्तरदायी होंगे।
- 5- किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता का उत्तरदायी यूपीनेडा का होगा।
- 6- यूपीनेडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।
- 7- उक्त स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों में निहित प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 8- उक्त स्वीकृत धनराशि से किसी भी अनानुमोदित मद/मदों पर व्यय न किया जाये। अनुदान का बिल अनु सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।
- 9- यूपीनेडा द्वारा अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्त विभाग एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जायेगा।
- 10- प्रस्तावित पुनर्विनियोग केवल बजट आवंटन के उद्देश्य से धनराशि की उपलब्धता हेतु किया जा रहा है। यूपीनेडा द्वारा इसका व्यय समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
- 11- यूपीनेडा द्वारा अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग समयबतद्ध ढंग से विलम्बतम 31-03-2024 तक कर लिया जाय। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय की अद्यतन प्रगति का विवरण प्रत्येक माह की 07 तारीख तक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

नियोजन विभाग/अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके अतिरिक्त कार्य हेतु राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतरु कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 02 माह में अर्थात् दिनांक 31 मई, 2025 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण वित्त विभाग एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

12- स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 द्वारा तथा समय-समय पर जारी शासनादेशों एवं दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 50,00,000 ( रुपये पचास लाख मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 070 लेखा शीर्षक 2810021010311 उत्तर प्रदेश ऊर्जा नीति का प्रचार प्रसार मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुनील कुमार चौहान)  
अनु सचिव

संख्या-28/2024/744(1)/001-87-01002-001-2-2022, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितरू-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
- (3) कोषाधिकारी, लखनऊ।
- (4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10
- (5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
- (6) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0, प्रयागराज।
- (7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार चौहान)  
अनु सचिव